321
12/9/12

खण्ड - 9

सत्यमेव जयते

संख्या - 11

नवम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

नवम् सत्र

(भाग-1, कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

शुक्रवार, तिथि : 8 जुलाई, 1988 ई०

निर्माण विभाग की अधिसूचना सं॰ 2108, दिनांक 19 जून 1985 के क्रमांक 67 में अंकित स्थान पर एक वर्ष पूर्व ही हो गया है और तब से लगातार दो बार इनका स्थानान्तरण स्थगित किया गया है;

(3) क्या यह बात सही है कि श्री सिंह का पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना सं॰ 470 (एस), दिनांक 31 जनवरी 1986 द्वारा अंतिम स्थगन मात्र 1986 तक ही था;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्री सिंह को विरमित कर किसी अन्य सहायक अभियंता के पदस्थापन करने का विचार करती है, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग : (1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(3) स्वीकारात्मक है।

(4) श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह का स्थानान्तरण हो चुका है। इनके स्थान पर श्री विजय कुमार सिंह ने दिनांक 14 जनवरी 1987 को योगदान कर लिया है। श्री सिंह ने अग्रिम योजना प्रमंडल, पटना में 28 अगस्त 1987 को रिक्त पद के विरुद्ध योगदान भी दे दिया है।

शिक्षिका की नियुक्ति

झ-83. श्री शिबू सोरेन : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(1) क्या यह बात सही है कि श्रीमती सुनीता पाण्डेय, प्रयोगशाला

सहायिका (भूगोल) की नियुक्ति विभागीय पत्रांक 858, 23 जून 1986 द्वारा महिला महाविद्यालय, गुलजारबाग में की गयी है;

(2) क्या यह बात सही है कि श्रीमती पाण्डेय की नियुक्ति विभाग द्वारा विज्ञापन निकाले तथा बिना पद सृजन किये की गयी है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सरकारी नियमों को उल्लंघन कर श्रीमती पाण्डेय की नियुक्ति करने वाले पदाधिकारी के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, और नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग : (1) श्रीमती सुनीता पाण्डेय की नियुक्ति बिल्कुल तदर्थ एवं अस्थायी रूप से की गयी है।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि राजकीय महिला महाविद्यालय, गुलजारबाग की स्थापना वर्ष 1973 में हुई थी। स्थापना के साथ अन्य पदों के साथ-साथ सात प्रायोगिक विषयों में प्रयोग प्रदर्शक का एक-एक पद स्थायी रूप से सृजित था। बाद में निर्णय लिया गया कि भविष्य में किसी महाविद्यालय में प्रयोग प्रदर्शक के पद का सृजन नहीं किया जायेगा। प्रयोग प्रदर्शक के रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं की जाय तथा प्रयोग प्रदर्शक के रिक्त पदों को प्रयोगशाला सहायक के पद एवं वेतनमान में अवक्रमित किया जाय। प्रयोग प्रदर्शक भूगोल, गृह विज्ञान एवं मनोविज्ञान का प्रयोगशाला सहायक के पद एवं वेतनमान में अवक्रमण नहीं हो सकने के कारण प्रयोगशालाओं के समुचित रख-रखाव की कमी एवं छात्राओं की व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए श्रीमती पाण्डेय को बिल्कुल तदर्थ एवं अस्थायी रूप से इस शर्त्त पर योगदान कराया गया कि वेतन का भुगतान प्रयोगशाला सहायक का पद उपलब्ध होने

पर किया जायेगा, क्योंकि एक भी प्रयोगशाला सहायक नहीं थे। राज्यादेश संख्या 452, दिनांक 16 मई 1987 के द्वारा प्रयोग प्रदर्शक के पद को प्रयोगशाला सहायक के पदनाम एवं वेतनमान में अवक्रमित किया जा चुका है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

बकाये वेतन का भुगतान

घ-3. **श्री सत्यनारायण दुदानी :** क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के छपरा प्रमंडल के सिवान डीपो के चालक श्री कन्हैया मिश्र का वर्ष अप्रैल, 1983 से मार्च, 1986 तक ओवर टाइम और चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसाओं के आलोक में वर्द्धित वेतनमान के बकाये का भुगतान नहीं किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने अपने पत्रांक 4393, दिनांक 16 मई 1986 द्वारा प्रमंडलीय प्रबंधक, छपरा को अविलंब भुगतान का आदेश दिया गया था;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो अभी तक भुगतान नहीं किए जाने का क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री, परिवहन विभाग : (1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है।